

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

पत्रांक 2242 /14-1, बरेली, दिनांक, 29 नवम्बर, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
वन एवं वन्य जीव, बरेली वृत्त, बरेली।

विषय:- जनपद बरेली में बरेली-बदायूँ मार्ग के चैनैज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे० संरक्षित वन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक 6125 वृक्षों पातन/ट्रान्सलोकेट की अनुमति के सम्बन्ध में।

(Online Proposal No. FP/UP/Road/147420/2021)

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 11सी-1649, दिनांक 10.11.2022 द्वारा प्राप्त भारत सरकार का पत्रांक 8वी/यूपी/06/38/2022/एफ०सी०/673, दिनांक 07.11.2022।

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 07.11.2022 के द्वारा विषयक मामले में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष प्रस्तावक विभाग द्वारा अक्षरशः अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी है। (संलग्नक-1) प्रस्तावक विभाग से प्राप्त अनुपालन आख्या के अनुसार सहमति सहित अनुपालन आख्या निम्नवत् नियत प्रारूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है-

शर्त संख्या	शर्त	शर्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या
01	02	03
01	The legal status of the land shall remain unchanged.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-1)
02	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 14.11 ha. degraded forest land in Protected Forest Bareilly-Pilibhit Road km. 332-335 Bareilly 10 ha. in Nawadiya Banki compartment no. 05-08 in Range Beoria in Pilibhit at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	उपरोक्त शर्त के अनुपालन में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु आंकलित धनराशि मु०रु० 24,75,800.00 ऑनलाईन उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दी गयी है। ऑनलाईन पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-2)
03	The cost of Compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।
04	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 7.055 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme	उपरोक्त शर्त के अनुपालन में प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य की आंकलित धनराशि मु०रु० 95,74,411.00 ऑनलाईन उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दी गयी है।



	<p>Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.</p> <p><b>Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.</b></p>	
05	<p>Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.</p>	<p>शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)</p>
06	<p>User agency shall restrict the felling of trees to 6125 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the State Forest Department.</p>	<p>शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-4)</p>
07	<p>The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.</p>	<p>शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय का प्रमाण पत्र पूर्व में प्रस्ताव अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।</p>
08	<p>No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.</p>	<p>शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-5)</p>
09	<p>Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulai Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.</p>	<p>उपरोक्त शर्त के अनुपालन में पटरी वृक्षारोपण हेतु वाँछित धनराशि मु0रु0 49,71,203.00 ऑनलाईन उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दी गयी है।</p>
10	<p>Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Area.</p>	<p>शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-6)</p>
11	<p>The User Agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/ Forest Area as per recommendation of CWLW/NBWL/FAC/REC.</p>	<p>शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-7)</p>
12	<p>User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.</p>	<p>शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।</p>
13	<p>The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.</p>	<p>शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-8)</p>
14	<p>No labour camp shall be established on the forest land.</p>	<p>शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-9)</p>



15	Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।
16	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-10)
17	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-11)
18	The Period of diversion under this approval shall be co-terminus with period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-12)
19	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-13)
20	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-14)
21	The KML file of the area to be diverted, The CA areas the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded in the e-green watch portal with all requisite details before commencement of works.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।
22	CA should be proposed on 14.1 ha. only accordingly revised CA scheme for 10 ha. PF in Saharanpur Range Haldukhata 4 Najiwabad Bijnor Forest Division and 7 ha. in Badhapur Dhakiabawan Saray 2 needs to be submitted and accordingly money needs to be deposited in CAMPA.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रांकलन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-15)
23	Density of 0.4 needs to be rectified in part II of the proposal.	उपरोक्त वर्णित शर्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्ताव की ऑनलाईन वर्तमान स्थिति In-Principle होने के कारण घनत्व में संशोधन नहीं हो पा रहा है। प्रस्तावित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य का आंकलन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-16)
24	Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on Parivesh Portal as well Nodal officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the state of issue of such permission.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।

25	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।
26	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-17)
27	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposit to CAMPA fund only thorough e-portal ( <a href="http://parivesh.nic.in/">http://parivesh.nic.in/</a> ).	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।
28	The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> )	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।

प्रारूप-2

शर्त.संख्या	भारत सरकार की इंगित शर्त	अनुपालन आख्या/प्रतिउत्तर की स्थिति
01	02	03
02	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	24,75,800.00
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की जमा धनराशि	24,75,800.00
	धनराशि में अंतर	—
	अंतर का कारण	—
04	एनपीबी की धनराशि	95,74,411.00
	एनपीबी की जमा धनराशि	95,74,411.00
	धनराशि का अंतर	—
	अंतर का कारण	—
09	अन्य जमा धनराशि	49,71,203.00
	कैम्पा द्वारा सुनिश्चित	

उपरोक्त अनुपालन आख्या संलग्नको की चार-चार प्रतियाँ सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।  
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय



( समीर कुमार )

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।



पत्रांक 2142 / 14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-भवन, लोक निर्माण विभाग, बरेली।



( समीर कुमार )

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।







कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, बरेली  
पत्रांक 4334/वृक्षारोप दिनांक 26/11-11 2022।

सेवा मे,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

विषय:- जनपद बरेली में बरेली-बदायूँ मार्ग चैनैज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।  
(Online Proposal No.FP/UP/Road/147420/2021)

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 2025/14-1, दिनांक 11.11.2022।  
महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यूपी/06/38/2022/एफ0सी0/673, दिनांक 07.11.2022 के द्वारा विषयक मामले में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष अक्षरशः अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है। -

शर्त संख्या	शर्त	शर्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या
01	02	03
01	The legal status of the land shall remain unchanged.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-1)
02	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 14.11 ha. degraded forest land in Protected Forest Bareilly-Pilibhit Road km. 332-335 Bareilly 10 ha. in Nawadiya Banki compartment no. 05-08 in Range Beoria in Pilibhit at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	उपरोक्त शर्त के अनुपालन में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु आंकलित धनराशि मु0रु0 24,75,800.00 ऑनलाईन उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दी गयी है। ऑनलाईन पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-2)
03	The cost of Compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
04	The State Government shall charge the Net	उपरोक्त शर्त के अनुपालन में प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध

मि. शाखा  
के  
प्र. नि.  
26/11/22



	<p>Present Value (NPV) for the 7.055 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.</p> <p><b>Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.</b></p>	<p>वर्तमान मूल्य की आंकलित धनराशि मु0रु0 95,74,411.00 ऑनलाईन उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दी गयी है।</p>
05	<p>Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.</p>	<p>शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)</p>
06	<p>User agency shall restrict the felling of trees to 6125 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the State Forest Department.</p>	<p>शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-4)</p>
07	<p>The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.</p>	<p>शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय का प्रमाण पत्र पूर्व में प्रस्ताव अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।</p>
08	<p>No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.</p>	<p>शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-5)</p>
09	<p>Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulai Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.</p>	<p>उपरोक्त शर्त के अनुपालन में पटरी वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि मु0रु0 49,71,203.00 ऑनलाईन उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दी गयी है।</p>
10	<p>Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Area.</p>	<p>शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-6)</p>
11	<p>The User Agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/ Forest Area as per recommendation of CWLW/NBWL/FAC/REC.</p>	<p>शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-7)</p>
12	<p>User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental</p>	<p>शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।</p>



	(Protection) Act, 1986, if applicable.	
13	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-8)
14	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-9)
15	Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
16	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-10)
17	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-11)
18	The Period of diversion under this approval shall be co-terminus with period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-12)
19	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-13)
20	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-14)
21	The KML file of the area to be diverted, The CA areas the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded in the e-green watch portal with all requisite details before commencement of works.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
22	CA should be proposed on 14.1 ha. only accordingly revised CA scheme for 10 ha. PF in Saharanpur Range Haldukhata 4 Najiabad Bijnor Forest Division and 7 ha. in Badhapur Dhakiabawan Saray 2 needs to be submitted and accordingly money needs to be deposited in CAMPA.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
23	Density of 0.4 needs to be rectified in part II of the proposal.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
24	Any order of Temporary Work Permission in case	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।



	of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on Parivesh Portal as well Nodal officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the state of issue of such permission.	
25	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
26	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-15)
27	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposit to CAMPA fund only thorough e-portal ( <a href="http://parivesh.nic.in/">http://parivesh.nic.in/</a> ).	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
28	The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> )	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए लीनीयर प्रसतवों हेतु भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-भवन, लो0नि0वि0, बरेली।



## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

प्र  
पञ्चागोय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बरेली



अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड-भवन, लो०नि०वि०, बरेली।



## Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE Rs.)	Amount to be Paid/Amount Paid (in Payment Status)	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/ROAD/147420/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/147420/2021)  Proposed Protected Forest Land to be diverted for development of Road Widening four lan along old road Carriage Way from km 0.800 to 5.100 Of Bareilly Cantt Road in District - Bareilly (U.P.)	ROAD1474202021262	61147420262	07 Nov 2022	CA: 2475800/- Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 9574411/- Road Side Plantation 4971203/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 17021414/-	 Paid Fund Demand Verified by Nodal Officer On 16 Nov 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 16 Nov 2022 Transaction Date 19 Nov 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/151120221601244937_FPUPROAC Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=R
2	FP/UP/Others/47699/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Others/47699/2020)  Forest Land Proposed to be diverted for construction of drain at Bareilly-Rampur Road Ch. 239.335 to 239.900 (565m) from Mathurapur Tiraha main road to Durga mandir Tehsil-sadar, Distt-Bareilly UP	OTHERS476992020580	19947699580	27 Nov 2020	CA: 369692/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 74275/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 443967/-	 Paid Fund Demand Verified by Nodal Officer On 11 Dec 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 28 Dec 2020 Transaction Date 16 Dec 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/12115121812162M Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pi



SWACHH BHARAT

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)



MeitY

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India  
 Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) |  
 Accessibility Statement (Accessibillitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)


For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in


पभागीय निदेशके  
 रामाजिक वानिकी प्रभाग  
 बरेली




## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या- एफ0एन0 5-3/2011 एफ0 सी0, (Vol-1) दिनांक 06.01.2022 द्वारा 30 वर्षों के लिए वन भूमि के हस्तान्तरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) दरों के अनुसार धनराशि को लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग को ई-पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान द्वारा माध्यम से भुगतान कर दिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त दरों में बढ़ोत्तरी हाने पर भी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

  
पञ्चायत निदेशक  
ग्रामाजिक वानिकी प्रभाग  
बरेली

  
अधिशाली अभियन्ता

  
निर्माण खण्ड-भवन, लो0नि0वि0, बरेली।



## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे० संरक्षित वन. भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत वृक्षों की कटाई को न्यूनतम सीमा तक सीमित रखा जायेगा तथा वृक्षों को वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में काटा जायेगा एवं वृक्षों की कटाई की लागत वहन करने की भी वचनबद्धता व्यक्त की जाती है।

कि  
वन विभाग के  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बरेली

अधिशायी अभियन्ता


निर्माण खण्ड-भवन, लो०नि०वि०, बरेली।




## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्वयं दिनांक 29.11.2022 को मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि प्रस्तावक के द्वारा मौके पर किसी भी प्रकार से वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

  
प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग बरेली  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बरेली  


  
अधिशारी अभियन्ता

 निर्माण खण्ड-भवन, लो०नि०वि०, बरेली



## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलैटिंग साइनेज लगाए जाने की वचनबद्धता व्यक्त की जाती है।


प  
पभागाय निदेशक  
गामाजिक वानिकी प्रभाग  
बरेली



अधिशाली अभियन्ता


निर्माण खण्ड-भवन, लो०नि०वि०, बरेली।

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत CWLW/NBWL/FAC/REC की सिफारिश के अनुसार उपर्युक्त अण्डर पास/ओवर पास प्रदान किये जाने की वचनबद्धता व्यक्त की जाती है।

  
अधिशाली अभियन्ता

  
प्रभागोच निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बरेली  


 निर्माण खण्ड-भवन, लो०नि०वि०, बरेली।



## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

पञ्चायत निदेशक  
ग्रामाजिक वानिकी प्रभाग  
बरेली

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड-भवन, लो०नि०वि०, बरेली।

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे० संरक्षित वन, भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

पञ्चायत निदेशक  
ग्रामाजिक वानिकी प्रभाग  
बरेली


अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड-भवन, लो०नि०वि०, बरेली।




## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत वन भूमि को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार परियोजना लागत पर उपयुक्त रूप से सीमांकित किये जाने की वचनबद्धता व्यक्त की जाती है।

  
प्रभागीय निदेशक  
ग्रामाजिक वानिकी प्रभाग  
बरेली

  
अधिशायी अभियन्ता

 निर्माण खण्ड-भवन, लो०नि०वि०, बरेली।

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत परियोजना कार्य के निष्पादन एवं निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नवीन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।

पञ्चायत निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बरेली


अधिसासी अभियन्ता



निर्माण खण्ड-भवन, लो०नि०वि०, बरेली।



## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-बदायूँ मार्ग चैनैज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत इस अनुमोदन के तहत व्यपवर्तन की अवधि प्रयोक्ता एजेन्सी या परियोजना जीवन के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि, जो भी कम हो, के साथ सह-टर्मिनस होगी।

  
प्रभागिय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बरेली

  
अधिशायी अभियन्ता  
 निर्माण खण्ड-भवन, लो०नि०वि०, बरेली।

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

पञ्चायत निदेशक  
ग्रामाजिक वानिकी प्रभाग  
बरेली

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड-भवन, लो०नि०वि०, बरेली।



## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में 100 फीटा रोड तिराहे से पीलीभीत मोड तिराहे तक चैनेज 45.500 से 49.100 (3600 मी०) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 4.464 हे० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक 303 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में भारत सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना अन्य किसी एजेन्सी, विभाग व व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

प्रभागोप निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बरेली

अधिशारी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-भवन, लो०नि०वि०, बरेली।